18

न्यायालयः माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर
निगरानी 2366-II-15

प्रकरण कमांक /2013 पुनरीक्षण

S. K. Shrivastava
27-7-15

27-7-15
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

27-7-15

1. भगवानदीन पिता श्री रामा साहू आयु– 55 साल व्यवसाय– कृषि
2. रामकरण यादव पुत्र श्री रामजियावन यादव आयु– 57 साल व्यवसाय– कृषि
3. रामसियावर पुत्र श्री रामजियावन यादव आयु– 42 साल व्यवसाय– कृषि, समस्त निवासीगण– ग्राम डोल, पोस्ट टरका, थाना बहरी तहसील बहरी जिला सीधी, म0प्र0

—आवेदकगण

बनाम

1. भीमसेन पुत्र श्री छोटेलाल नाई आयु– 30 साल व्यवसाय– कृषि समस्त निवासी– ग्राम डोल, पोस्ट टरका, थाना बहरी, तहसील बहरी जिला सीधी, म0प्र0
2. म0प्र0 शासन —— अनावेदकगण

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 एवं धारा 3 वनसंरक्षण अधिनियम 1980 विरुद्ध

P.T.O.

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 2366–II/2015 जिला सीधी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01–04–2017	आवेदक अधिवक्ता श्री एस0के0 श्रीवास्तव एवं अनावेदक अभिभाषक श्री के0के0 द्विवेदी द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। 2/ उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है आवेदकगण ने तहसीलदार बहरी जिला सीधी के प्रकरण कमांक 20/अ–74/2009–10 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 15–7–2013 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 27–7–15 को लगभग दो वर्ष पश्चात निगरानी प्रस्तुत की गई है। तहसीलदार के अंतिम आदेश के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है। जहां अपील का प्रावधान हो वहां निगरानी वर्जित होती है। दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है। आवेदकगण चाहे तो सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0एस0 अली) सदस्य	